लेख

घरेलू हिंसा व स्वास्थ्य हस्तक्षेप

विभूति पटेल

"महिलाओं के साथ हिंसा मानव अधिकार हनन का सबसे शर्मनाक रूप है। यह सबसे ज़्यादा व्यापक भी है। हिंसा धन, संस्कृति और भूगोल की कोई सीमाएं नहीं देखती और जब तक यह जारी रहेगी तब तक हम समानता, विकास और अमन के पथ पर प्रगति नहीं कर सकते!"

कोफ़ी आनन-संयुक्त राष्ट्र महासचिव

राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (III-2006-07) के अनुसार 55% भारतीय महिलाएं पति के हाथों मारपीट सहती हैं। नारीवादियों की मांग है कि घरेलू हिंसा को एक यातना की तरह देखा जाना चाहिए। हत्या और लापता हो जाने के मामलों को मानवाधिकार उल्लंघन का गहन रूप मानते हुए यातना की श्रेणी में रखा जाता है तो फिर लिंग के आधार पर फैली असमानता और बलात्कार, घरेलू मारपीट और पोर्नोग़ाफ़ी जैसे अपराधों को लैगिंक यातना मानकर उन्हें मानव अधिकार हनन करार क्यों नहीं दिया जाता?

घरेलू हिंसा को चुनौती देने लिए हमारे संविधान में कुछ बुनियादी अधिकार दर्ज हैं जो हर नागरिक को समान रूप से हासिल हैं:

अनुच्छेद-14	पुरुष व स्त्री दोनों के लिए राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक खण्ड में समान अधिकार व अवसर।
अनुच्छेद-15	लिंग, धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर भेदभाव की मनाही।
अनुच्छेद-15 (3)	राज्य को महिलाओं के हितों के लिए सकारात्मक कार्यवाही करने का अधिकार।
अनुच्छेद-16	सार्वजनिक नियुक्तियों के मामले में समान अवसर।

घरेलू हिंसा के लक्षणों में निम्न शामिल हैं:

- मौखिक प्रताड़ना व अपमानजनक आलोचना— चीखना, गाली-गलौज़, धमकाना आदि।
- दबाव डालना— पैसा न देने की धमकी, फ़ोन काट देना, बच्चों को दूर कर देना, दोस्तों-रिश्तेदारों से झूठ बोलना, आत्महत्या की धमकी, बात न करना, फ़ैसला लेने की मनाही, ज़ोर-ज़बरदस्ती से बात मनवाना आदि।
- अपमान— दूसरों के सामने नीचा दिखाना, बात न सुनना, बिना पूछे पैसे ले लेना, घर के कामों में मदद न करना आदि।
- विश्वास तोड़ना— झूठ बोलना, जानकारी छुपाना, ईष्या, बाहर संबंध रखना, वादा ख़िलाफ़ी और धोखाधड़ी आदि।
- अकेला कर देना— फ़ोन की तार काटना, किसी से बात न करने देना, दोस्तो-रिश्तेदारों से मिलने की मनाही आदि।
- उत्पीड़न— पीछा करना, चिट्ठी-मेल चैक करना, फ़ोन की जांच करना, सबके सामने ज़लील करना आदि।
- धमकी— चाकू या अन्य हथियारों से डराना, सामान तोड़ना, चीज़ें पटकना, बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी आदि।
- यौन हिंसा— जबरन यौन संबंध बनाना या कोई भी यौनिक काम करने को बाध्य करना।
- शारीरिक हिंसा— मारपीट, बाल खींचना, धक्का देना, जलाना, गला घोंटना आदि।
- मनाही— कहना कि तुम हालात के लिए ज़िम्मेदार हो, माफ़ी मांगना, दोबारा न करने की कसम देना आदि।

चालीस वर्षों के सतत् संघर्ष के बाद सन 2005 में *घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा क़ानून* पास हुआ जिसके अनुसार घरेलू हिंसा कोई भी ऐसी कार्यवाही है जो—

- व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या खुशहाली को नुकसान, चोट या खतरे में डालती है

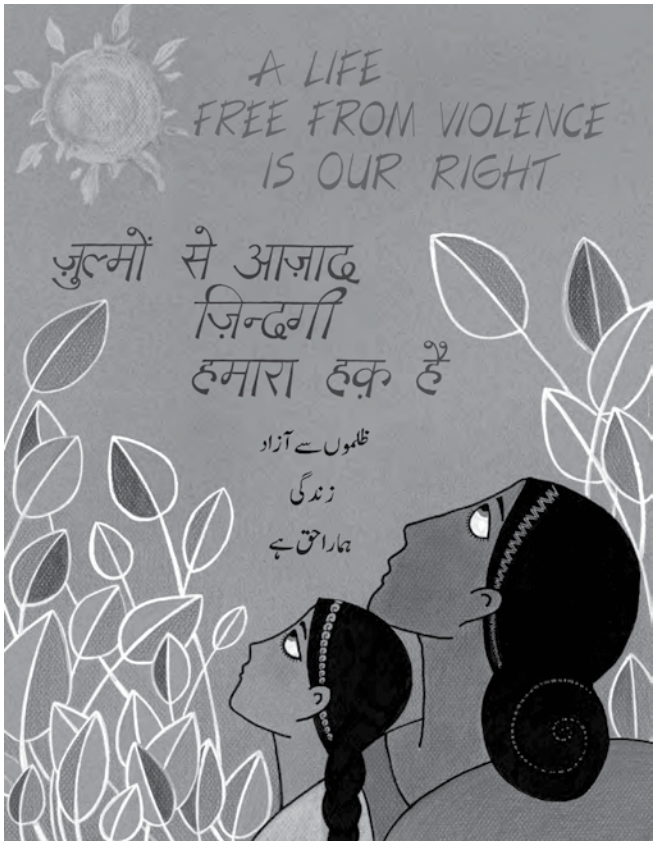

पोस्टरः जागोरी

और जिसमें शारीरिक उत्पीड़न, यौन हिंसा, मौखिक, भावनात्मक व आर्थिक प्रताड़ना शामिल हो अथवा

- व्यथित व्यक्ति को नुकसान, चोट, प्रताड़ना या खतरा पहुंचाने या उसको व उससे जुड़े किसी भी व्यक्ति को दहेज, सम्पत्ति या किसी कीमती सुरक्षा संबंधी गैर क़ानूनी मांग को मानने के लिए बाध्य करती हो, अथवा
- व्यथित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी भी अन्य व्यक्ति को धमकाने के लिए उपयोग किया गया कोई भी व्यवहार जो खण्ड (अ) व (ब) में उल्लेखित हो या व्यथित व्यक्ति को किसी भी तरह की चोट या नुकसान या शारीरिक व मानसिक तकलीफ़ पहुंचाए।

इस क़ानून के तहत घरेलू हिंसा के सर्वाइवर को अपने वैवाहिक घर में रहने का अधिकार दिया गया है और जिसकी बहाली के लिए सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति सेवा प्रदाताओं की पहचान, सुरक्षा अधिकारियों व न्यायाधीशों के प्रशिक्षण तथा जागरूकता बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।

अर्थशास्त्रियों की मांग है कि अस्पताल, आश्रयघर, पुलिस व क़ानूनी निकाय सेवा प्रदाताओं के लिए उचित धनराशि जैसे बजट आबंटन किया जाए जिससे इस क़ानून को प्रभावशाली तरीक़े से लागू किया जा सके।

घरेलू हिंसा क़ानून के अलावा 1983 में घरेलू हिंसा को *धारा 498-A* के तहत विशेष अपराध माना गया है। इस खण्ड में पति व उसके परिवार द्वारा औरत के साथ की जाने वाले दुर्व्यवहार और क्रूरता को परिभाषित किया गया है। इस क़ानून के अतंर्गत चार तरह की क्रूरता का उल्लेख किया गया है जो क़ानूनी अपराध की श्रेणी में रखी गई हैं— आत्महत्या के लिए उकसाने वाला व्यवहार; जीवन, अंग या स्वास्थ्य को नुकसान, चोट या तकलीफ़ पहुंचाने वाला व्यवहार; महिला व उसके रिश्तेदारों पर सम्पत्ति देने के लिए दवाब डालने वाला व्यवहार; सम्पत्ति या दहेज न देने के कारण महिला के साथ किया जाने वाला व्यवहार।

अदालत ने इन व्यवहारों को भी 'क्रूरता' की श्रेणी में रखा हैः खाना न देना, अभद्र यौन व्यवहार, घर के बाहर निकालना, बच्चों से न मिलने देना, शारीरिक हिंसा, ताने मारना, हतोत्साहित करना या नीचा दिखाना, घर में कैद रखना, गाली-गलौज, तलाक़ की धमकी, मानसिक यातना या बच्चों को नाजायज़ ठहराना आदि।

दिलासाः सरकारी अस्पताल में हिंसा पीड़ितों के इलाज और परामर्श के लिए केंद्र

महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के प्रति सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को संवेदनशील बनाने के मक़सद को लेकर *सेहत* और *ब्रह्नमुंबई नगर पालिका* ने एक साथ मिलकर मुंबई के पश्चिमी बांद्रा इलाके के के.बी. भाभा अस्पताल में *दिलासा क्राइसिस सेंटर* की स्थापना की है। *दिलासा* का अर्थ होता है आश्वासन देना और इस केंद्र का लक्ष्य है यहां आने वाली घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं को सामाजिक, मानसिक व मनोवैज्ञानिक राहत प्रदान करना।

सेहत की भूमिका यहां अगले तीन सालों तक हिंसा के सर्वाइवर्स को परामर्श और उससे संबंध सहयोगी सेवाएं प्रदान करना है। इस क्राईसिस केंद्र के मॉडल पर मुंबई के दो अन्य अस्पतालों तथा एक ज़िला अस्पताल में *दिलासा* केंद्र खोले जा रहे हैं। इन *दिलासा केंद्रों* में चिकित्सीय और परामर्श सेवाओं के अलावा हिंसा से बचाव के लिए

गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त महिला सर्वाइवर्स के लिए समुदाय आधारित सहयोग प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा व्यावसायिकों द्वारा झेली जाने वाली हिंसा पर शोध अध्ययन तथा सामाजिक संरचनाओं में निहित हिंसा पर भी नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अस्पतालों में हिंसा के पीड़ितों से संवेदनशील तरीक़ों से निपटने के लिए नर्सों के जेंडर संवेदनशील प्रशिक्षण व प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि लड़कियों, महिलाओं व बुजुर्गों को हिंसा से बचाने व औरतों के मानवाधिकार स्थापित करने के लिए सकारात्मक क़दम उठाने की आवश्यकता है। इस दिशा में कुछ प्रमुख कार्यनीतियां हैं— महिलाओं की आर्थिक क्षमताओं का विकास, लिंग संवेदनशील प्रशिक्षण व अध्ययन प्रक्रियाओं को सशक्त बनाना। *दिलासा* की तरह औरतों के लिए क्राइसिस केंद्रों में भी चिकित्सीय कर्मचारियों, पुलिस व स्वयंसेवी संगठनों की संयुक्त भागीदारी और योगदान होना चाहिए। मीडिया के सहयोग और शैक्षिक संस्थानों की मदद से जागरूकता अभियान और चेतना बढ़ाने वाले कार्यक्रम भी नियमित रूप से चलाए जाने चाहिए।

विभूति पटेल *नारीवादी अकादमिक व शिक्षिका हैं।*